# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

**पीठासीन अधिकारीः–** अशोक कुमार, आर.ए.एस.

**राजस्व आवेदन संख्या :–** 139 / 2025

**जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2025 / 222

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| रामलाल पुत्र मोमताराम जाति भील निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा | | 1.मालाराम पुत्र मोमताराम जाति भील निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा<br>2.मैसर्स खुशी विलोज रिजार्ट प्रो.गौतम चौकी पुत्र श्री बछराज जाति ओसवाल निवासी रामलीला मैदान बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा<br>3.अशोक चौहान पुत्र खेमराज जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा जिला बालोतरा<br>4.संतोषकुमार पुत्र खेमराज जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा<br>5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति–**

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4

3.विप्रार्थी संख्या 1 व 5 एकपक्षीय

## आदेश

दिनांक 26/02/2026

**1.**संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 341 रकबा 76.05 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसमे से सड़क निकलने के कारण रकबा 3.15 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुए। अवशेष भूमि के खसरा संख्या 958 / 341 रकबा 76.05 बीघा भूमि रही। तत्पश्चात विवादित भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाने जाने पर खसरा संख्या 1237 / 341 रकबा 10.18 बीघा भूमि प्रार्थी के खाते में दर्ज हुए। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से रकबा 0,04 बिस्वा भूमि का संपरिवर्तन आवासीय प्रयोजनार्थ करवाए जाने पर खसरा संख्या 1572 / 341 कायम हुए। तत्कालीन हल्का पटवारी को आपसी सहमति बंटवाड़ा व मौका कब्जा काश्त स्थिति के अनुरूप तरमीम किए जाने के बजाय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विपरीत तरमीम किए जाने से मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गए है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 1237/341 व 1572/341 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका पर कब्जा काश्त एवं रहवास के अनुरूप तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

**2.**प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गए तथा विप्रार्थी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नही कर विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई,जो पत्रावली के शामिल मिसल है।

**3.हमने** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि के खसरा संख्या 1237/341 व 1572/341 प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है तथा खसरा संख्या 1235/341,1238/341 व 1236/341 विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि के वर्तमान लटढा नक्शा व प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट व अवलोकन से प्रतीत होता है कि विदयमान तरमीम मौका कब्जा अनुरूप नही हो रखी है तथा विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका जांच रिपोर्ट में भी विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति अनुरूप नही होता बताकर परिशिष्ट अ अनुरूप तरमीम दुरूस्ती किए जाने की अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**–:आदेश:–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1237/341 व 1572/341 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक 2210/14.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट व अनुरूप विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट व आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

26/02/2026

(अशोक कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**बालोतरा**

आदेश आज दिनांक 26/02/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/02/2026

**उपखण्ड अधिकारी**
**(S.D.O.) बालोतरा**